



संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical
Sciences, Raebareli Road, Lucknow-226014 (INDIA)
Phone: 0522-2494065 Fax: 91-0522-2668078, 2668017

पत्रांक: पी0जी0आई0/मु0चि0अ0/पी0एस0/2417/2025

दिनांक: 10 जुलाई, 2025

कार्यालय आदेश

विषय: आगामी आने वाले त्यौहार श्रावण मास (11-07-2025 से 09-08-2025 तक) के दृष्टिगत लखनऊ में चिकित्सकों की आकस्मिक आवश्यकता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 372/पी0एस0(चि0स्वा0/चि0शि0)/2025 दिनांक 25-06-2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 11-07-2025 से 09-08-2025 तक श्रावण मास इत्यादि त्यौहारों के दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियाशील, संवेदनशील और सुदृढीकरण रखने हेतु दिनांक 11-07-2025 से 09-08-2025 तक इमरजेन्सी डिपार्टमेंट एवं अपेक्स ट्रामा सेन्टर हाई अलर्ट पर रहेगा एवं इस संस्थान के अधोलिखित संकाय सदस्यों/चिकित्सकों को आकस्मिक आवश्यकता सुनिश्चित किये जाने हेतु नामित किया जाता है।

क्र० सं०	सम्बन्धित विशेषज्ञता	नमित संकाय सदस्य/चिकित्सक	मोबाइल नं०	ड्यूटी की तिथि
1	इमरजेन्सी डिपार्टमेंट	इमरजेन्सी (पी0आर0ओ0) 24x7	8004901818	श्रावण मास
		डॉ० तनमय घटक	8005385187	11-07-2025
		डॉ० उत्सव आनन्द मणि	9920611314	से
2	अपेक्स ट्रामा सेन्टर	ए०टी०सी० इमरजेन्सी 24x7	8004900249	09-08-2025
		सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम 24x7	8005384903	तक
		डॉ० अरुण श्रीवास्तव	8004904447	

उक्त आदेशों का सम्बन्धित चिकित्सक/नोडल अधिकारी अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(प्र० देवेन्द्र गुप्ता)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ
2. निदेशक महोदय को सूचनार्थ
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
4. चिकित्सा अधीक्षक
5. विभागाध्यक्ष, आकस्मिक चिकित्सा एवं चीफ, अपेक्स ट्रामा सेन्टर को उचित चिकित्सीय व्यवस्था एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रेजीडेंट्स की उपलब्धता और सभी कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराये जाने हेतु
6. समस्त विभागाध्यक्ष
7. अध्यक्ष एच०आर०एफ० को आकस्मिक सेवाओं में सभी आवश्यक दवाइयों जैसे पैररासीटामाल, एण्टी डायरियल, एण्टी इमेटिक आदि के साथ ARV तथा ASV, आई फ्लूड्स एवं ओ०आर०एस० पैकेट की आवश्यक मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
8. विभागाध्यक्ष बी०एच०आई० को इस आशय से प्रेषित कि इस आदेश को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. उपरोक्त नामित चिकित्सक एवं नोडल अधिकारी
10. नोडल अधिकारी (सुरक्षा)
11. मुख्य नर्सिंग अधिकारी
12. प्रभारी अधिकारी वाहन को एम्बुलेन्स की व्यवस्था बनाये रखने हेतु
13. नोडल अधिकारी (सैनीटेशन)
14. पी०आर०ओ०/ए०पी०आर०ओ०
15. वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी/स्वच्छता अधिकारी

(प्र० देवेन्द्र गुप्ता)
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक